भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 742

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

मुद्रा योजना के उद्देश्य

742. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री चन्द्र शेखर साहूः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुद्रा योजना के उद्देश्य क्या हैं और विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ख) क्या मुद्रा योजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में, राज्य-वार इससे कितने युवा लाभान्वित हुए हैं और स्वरोजगार की सफलता दर क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुद्रा द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों को विभिन्न क्षेत्रों/व्यावसायिक क्रियाकलापों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने वांछित स्वरोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों/व्यावसायिक क्रियाकलापों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ङ): प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र हो और जिनके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए कारोबार योजना हो, वह इस योजना के तहत ऋण ले सकता है। विनिर्माण, ट्रेडिंग, सेवा क्षेत्र में आय सृजन संबंधी गतिविधियों और कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए तीन ऋण उत्पादों, अर्थात् शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक) और तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक) में से कोई ऋण ले सकते हैं। मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2015 में योजना को आरंभ किए जाने से लेकर दिनांक 25.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार 20.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 37.76 करोड़ से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। पीएमएमवाई के तहत महाराष्ट्र और ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दिए गए ऋणों के विवरण संलग्न हैं।

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत रोज़गार सृजन का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बृहत नमूना सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार पीएमएमवाई से लगभग 3 वर्ष (2015 से 2018 तक) की अवधि के दौरान 1.12 करोड़ निवल अतिरिक्त रोज़गार सृजित करने में सहायता प्राप्त हुई है। समग्र रूप से, मुद्रा लाभार्थियों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों द्वारा अतिरिक्त रोज़गार सृजन में शिशु श्रेणी के ऋणों का योगदान लगभग 66%, तत्पश्चात् किशोर (19%) और तरुण (15%) श्रेणी के ऋण का योगदान है।

*****

दिनांक 12.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 742 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक (08.04.2015 से 25.11.2022 तक) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दिए गए ऋण

राशि करोड़ रुपए में

		संचयी	
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**ऋण खातों की सख्या**	**संवितरित राशि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र	46,640	822
2	आंध्र प्रदेश	6,748,393	73,994
3	अरुणाचल प्रदेश	80,267	917
4	असम	9,489,737	44,435
5	बिहार	38,377,375	155,813
6	चंडीगढ़	159,808	2,520
7	छत्तीसगढ़	7,408,404	38,030
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र	28,091	433
9	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	2,809,198	29,986
10	गोवा	293,738	3,536
11	गुजरात	11,442,470	82,936
12	हरियाणा	7,155,805	47,371
13	हिमाचल प्रदेश	812,287	14,381
14	झारखंड	10,739,997	48,741
15	कर्नाटक	36,134,618	191,101
16	केरल	12,550,672	75,366
17	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	6,997	86
18	मध्य प्रदेश	23,032,428	114,585
19	महाराष्ट्र	30,083,057	173,317
20	मणिपुर	417,703	2,225
21	मेघालय	219,460	1,842
22	मिजोरम	98,508	1,370
23	नागालैंड	103,801	1,226
24	ओडिशा	25,344,432	95,126
25	पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र	983,791	5,487
26	पंजाब	7,470,236	51,548
27	राजस्थान	16,339,347	112,081
28	सिक्किम	125,965	1,076
29	तमिलनाडु	44,375,023	208,429
30	तेलंगाना	5,485,668	46,914
31	त्रिपुरा	2,361,103	11,288
32	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	1,276,239	27,061
33	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	37,596	1,179
34	उत्तर प्रदेश	35,831,810	186,046
35	उत्तराखंड	2,370,514	19,873
36	पश्चिम बंगाल	37,354,502	172,178
	समग्र भारत	**377,595,680**	**2,043,316.07**

स्रोतः मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार